परिपत्र सं- 250/07/2025-GST

F. No. CBIC-20010/22/2025-GST

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 24 जून 2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: डीजीजीआई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के संबंध में उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (सीएए) द्वारा पारित आदेशों के संबंध में समीक्षा प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी - के संदर्भ में।

अधिसूचना संख्या 02/2017 दिनांक 19 जून 2017 (यथा संशोधित) और परिपत्र संख्या 239/33/2024-जीएसटी दिनांक 04 दिसम्बर 2024 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें निर्दिष्ट आयुक्तालयों में तैनात संयुक्त/अपर आयुक्तों को माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के संबंध में उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (सीएए) के रूप में नामित किया गया है। उक्त परिपत्र में ऐसे कारण बताओ नोटिसों को उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवंटित करने की प्रक्रिया तथा उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का विवरण दिया गया है, परंतु सीएए द्वारा पारित ऐसे मूल आदेशों (O-I-Os) के समीक्षा, पुनरीक्षण और अपीलों से संबंधित प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है।

2. इस मामले की जांच विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से की गई है जिससे यह स्पष्ट है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों के निपटारे के लिए विस्तृत तंत्र प्रदान करती है और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपील और समीक्षा के संबंध में नियम भी बनाए गए हैं। इसी प्रकार, समीक्षा प्राधिकारी के पास भी उक्त धारा के अंतर्गत सीएए द्वारा पारित न्यायनिर्णयन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है जो उक्त समीक्षा प्राधिकारी के अधीनस्थ है।